कार्यालय महाधिवक्ता छत्तीसगढ़

उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी, बिलासपुर (छ0ग0)

//विज्ञापन//

क्रमांक/स्थापना/10135/बिलासपुर, दिनांक 07.09.2020:: छ0ग0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के पत्र क्रमांक 5883/21–अ/स्था/2019 रायपुर, दिनांक 14.06.2019 के संदर्भ में, इस कार्यालय में निम्नांकित रिक्तियों की पूर्ति सीधी भर्ती से किये जाने हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों से उक्त पदों हेतु आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर से दिनांक 22.09.2020, सायं 5.00 बजे तक इस कार्यालय में आमंत्रित किये जाते है । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जावेगा।

रिक्तियों की संख्या पदनाम सहित प्रवर्गवार निम्नानुसार है:–

क्र.	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित				अनु. जाति				अनु. जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग			
			मुक्त	महिला	दिव्या.	भूपूसै	मुक्त	महिला	दिव्या.	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्या.	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्या.	भू.पू.सै
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	शीघ्रलेखक (अंग्रेजी)	4	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.
2	सहायक ग्रंथपाल	1	1	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.
3	सहायक वर्ग–3/टायपिस्ट (हिन्दी/अंग्रेजी)	10	2	2	1	.	1	.	.	.	2	1	.	.	1	.	.	.
	महायोग	15	4	2	1	.	1	.	.	.	3	2	1	.	1	.	.	.

महत्वपूर्ण टीप:–

1. **विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है** इसमें आवश्यकता अनुसार कमी एवं वृद्धि की जा सकती है । शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के विज्ञापित पदों में बैकलॉग के पद सम्मिलित है ।
2. उपरोक्त विज्ञापित पदो के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012, तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है ।
3. छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी, निःशक्तजन ही मान्य होगें ।

(1) भर्ती हेतु योग्यता:–

1. शीघ्रलेखक (अंग्रेजी)

(अ) वेतनमान–वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 वेतनमान रू. 28700–91300

(ब) शैक्षणिक योग्यताएं–

अनिवार्य– 1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।

....2

5/9/2020

Scanned with CamScanner

2. मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था से अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र एवं शीघ्रलेखन 100 शब्द प्रतिमिनट की गति ।
3. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 10,000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा । (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)

वांछनीय– द्विभाषी शीघ्रलेखन (अंगेजी / हिन्दी) वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

2. **<u>सहायक ग्रंथपाल</u>**

(अ) वेतनमान–वेतन मैट्रिक्स में 7 वेतनमान रू. 28700–91300

(ब) शैक्षणिक योग्यताएं–

अनिवार्य–
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण–पत्र ।
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण पत्र ।

वांछनीय– शीघ्रलेखन (अंग्रेजी) संबंधी ज्ञान एवं अनुभव को चयन में वरीयता दी जावेगी।

3. **<u>सहायक वर्ग–3 / टायपिस्ट (अंग्रेजी / हिन्दी)</u>**

(अ) वेतनमान–वेतन मैट्रिक्स में लेवल–4, वेतनमान–19500–62000

(ब) शैक्षणिक योग्यताएं–

अनिवार्य–
1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।
2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण पत्र ।
3. मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था से अंग्रेजी / हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र ।
4. अंग्रेजी एवं हिन्दी की टंकण का ज्ञान तथा अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति । (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)

वांछनीय–
1. शीघ्रलेखन (अंग्रेजी) संबंधी ज्ञान एवं अनुभव को चयन में वरीयता दी जावेगी।
2. विधि संकाय में स्नातक अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जावेगी ।

5/9/2020

Scanned with CamScanner

कम्प्यूटर प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उपाधि की मान्यता संवंधि निर्देशः–

सहायक ग्रंथपाल, शीघ्रलेखक (अंग्रेजी), सहायक वर्ग–3/टायपिस्ट (अंग्रेजी/हिन्दी) के पदों हेतु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के परिपत्र कमांक एफ 9–4/2017/1–3 दिनांक 22.01.2018 के निर्देशानुसार निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर विषय से संबंधित निम्नांकित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उपाधि को ही मान्य किया जावेगाः–

1. मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट ।
2. मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईंस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/मॉर्डन आफिस मैनेजमेंट का डिप्लामा ।
3. वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डिम्ड युनिवर्सिटी/ द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईंस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि ।
4. DOEACC Society of New Delhi द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा ।

महत्वपूर्ण नोटः–

अभ्यार्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य अर्हता निर्धारित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।

(2) निर्धारित आयु सीमाः–

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.2020 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो परन्तु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी ।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशो के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः–

1. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट दी जायेगी ।
2. ऐसे अभ्यर्थी को जो भू.पू.सै. हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो ।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–3–1/2016/1–3, नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चरत आयु में 10 वर्ष की छूट होगी ।
4. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 एवं कमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 10.02.2006 के अनुसार शिक्षाकर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायतकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी ।
5. स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा

3/9/2020

Scanned with CamScanner

के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

6. विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी ।
7. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।
8. राज्य (अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराज प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं " को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।
9. छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर, दिनांक 30.01.2012 के अनुसार राज्य में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रुप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
10. छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 20–4/2014/आ. प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

महत्वपूर्ण टीपः–

1. **सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।**
2. **आयु की गणना दिनांक 01.07.2020 के सन्दर्भ में की जाएगी ।**

(3) आवेदन प्रस्तुत करने की प्रकियाः–

1. आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र दिनांक 22.09.2020 की शाम 5.00 बजे तक प्रत्येक पद हेतु बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद शीघ्रलेखक अंग्रेजी/सहायक ग्रंथपाल/सहायक श्रेणी–3/टायपिस्ट (अंग्रेजी/हिन्दी) एवं प्रवर्ग अनारक्षित अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग/भू.पू.सै. पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, कार्यालय महाधिवक्ता छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी, बिलासपुर (छ.ग.) के कार्यालय में पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते है। दिनांक 22.09.2020 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, जाति, निवास, अनुभव प्रमाण पत्र आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उतीर्ण करने की अंकसूची की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें.
3. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए एक लिफाफे जिसमें रू. 25/– की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें.
4. आवेदन में अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल अनिवार्यतः उल्लेख करें ताकि लिखित परीक्षा/प्रायोगिक परीक्षा/चयन की सूचना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल द्वारा दी जा सके।
5. पात्र उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि के लिए प्रवेश पत्र उनके द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये लिफाफे में डाक द्वारा प्रेषित किये जावेंगे. यदि उम्मीदवारों को डाक द्वारा प्रेषित् प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो कार्यालय से सम्पर्क कर प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त कर सकते है।

7/9/2020

Scanned with CamScanner

6. उम्मीद्वार आवेदन पत्र में चस्पा किए गए फोटोग्राफ की ही एक प्रति प्रवेश पत्र में चस्पा करेंगे, भिन्न फोटोग्राफ होने पर परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
7. आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर पुनः आवेदन/निवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(4) नियम एवं शर्तेः–

1. उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु पदानुसार प्रायोगिक/कौशल परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी ।
2. व्यक्तित्व परीक्षण चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार माननीय महाधिवक्ता महोदय को होगा ।
3. **परिवीक्षा अवधिः**– चयनित आवेदकों की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी.
4. ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता/विभाग प्रमुख के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा.
5. प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा लिफाफे के उपर आवेदित पद प्रवर्ग अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, भू.पू.सै. का नाम लिखना अनिवार्य है.
6. भर्ती प्रकिया के दौरान किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने के लिए माननीय महाधिवक्ता के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे.
7. अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.
8. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.
9. किसी कारणवश निर्धारित परीक्षा तिथि स्थगित होने पर पुनः तिथि निर्धारित करके परीक्षा ली जावेगी.
10. भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजन हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वांछित प्रमाण पत्र की स्वःप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. किसी पद हेतु अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर लिखित परीक्षा लिया जावेगा.

(5) चयन प्रकियाः–

1. पात्र अभ्यार्थियों हेतु एक प्रायोगिक/कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी.,
2. प्रायोगिक परीक्षा में शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के उम्मीद्वार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से अंग्रेजी में श्रुत लेख दिया जावेगा जिसे आशुलिपी में लिखना होगा. जिसे निर्धारित समय–सीमा के भीतर शुद्धता से कम्प्यूटर पर टाईप कर प्रिन्ट निकालना होगा ।
3. सहायक ग्रंथपाल के उम्मीदवार के लिये अंग्रेजी एवं हिन्दी में कम्प्यूटर में कार्य संबंधी कौशल परीक्षा ली जावेगी।
4. सहायक श्रेणी–3/टायपिस्ट (अंग्रेजी/हिन्दी) के उम्मीद्वार के लिये अंग्रेजी एवं हिन्दी की टंकण संबंधी कौशल परीक्षा ली जावेगी।
5. उम्मीदवार को कम्प्यूटर कौशल परीक्षा में कम्प्यूटर पर अंग्रेजी/हिन्दी में डाटा एन्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से टंकण कार्य दी जावेगी। दिए गए विवरण/तालिका को निर्धारित समय में शुद्धता से टाईप करना होगा।
6. शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दिव्यांगजनो तथा भू.पू.सै. का चयन किया जावेगा ।

(माननीय महाधिवक्ता महोदय द्वारा अनुमोदित)

7/9/2020

अवर सचिव
कार्यालय महाधिवक्ता,
छ0ग0, बिलासपुर

Scanned with CamScanner

शीघ्रलेखक अंग्रेजी/सहायक ग्रंथपाल/सहायक वर्ग–3 के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रवर्ग–अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.व./अनारक्षित — दिव्यांग– हॉ /नहीं

लिंग– महिला/ पुरूष

(उपरोक्त में जो लागू हो उसे टिक करें)

स्वप्रमाणित फोटो

प्रति,

महाधिवक्ता,
कार्यालय महाधिवक्ता, छ0ग0,
उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी,
बिलासपुर (छ0ग0), पिन–495220

विषयः– शीघ्रलेखक अंग्रेजी/सहायक ग्रंथपाल/सहायक वर्ग–3 टायपिस्ट (अंग्रेजी/हिन्दी) के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र.

संदर्भः– कार्यालय महाधिवक्ता, छ0ग0, बिलासपुर का विज्ञापन दिनांक.........................

1. आवेदित पद का नाम :– ....
2. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) :– ....
   अंग्रेजी में (केपिटल अक्षरों में) :– ....
3. पिता/पति का नाम :– ....
4. जन्म तिथि (अंको में) :– ....
   (शब्दों में) :– ....
5. दिनांक 01/07/2020 को आयु :– वर्ष.........................माह................दिन.........
6. पत्र व्यवहार का पता :– ....
   :– ....
   आधार नम्बर. :– ....
   मो.नं. :– ....
   ई–मेल :– ....
7. स्थाई पता :– ....
   :– ....
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हां/नहीं :– ....
   (यदि हां तो मूलनिवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
9. श्रेणी– अनारक्षित/ अनु.ज.जाति/अनु.जाति/अ.पि.वर्ग :– ....
   (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

6/9/2020

Scanned with CamScanner

10. क्या अधिकतम आयुसीमा में छूट चाहते हैं? :– ....
(यदि हां तो किस श्रेणी से उल्लेख करें एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)

11. वैवाहिक स्थिति–विवाहित/अविवाहित :– ....

12. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता:–

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत

13. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है? :– ....
हां./नहीं (यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

14. संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची :–1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

घोषणा–पत्र

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न प्रमाण–पत्र सत्य एवं सहीं हैं. कोई भी जानकारी असत्य होने की दशा में मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक/आवेदिका का पूर्ण हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता

5
7/9/2020

Scanned with CamScanner